17/5/26 पत्रावली पेश हुई। उ० पक्ष हाजिर था।

ध्यान दिया जाता है। निम्नतम निर्णय पृथक

में लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के हेतु

दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

तारीख रजु:–28.04.21

मु0न0:–12 / 21

1. रामविलासी पुत्र नारायण उम्र साल जाति कुम्हार निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली
—प्रार्थी

बनाम

1. भरोसी पुत्र पन्ना जाति कुम्हार निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली (मृतक)
   - 1/1. मगनु उम्र 45 साल — पुत्रान भरोसी
   - 1/2. भोला उम्र 26 साल — पुत्रान भरोसी
   - 1/3. लाडो उम्र 47 साल — पुत्रीयान भरोसी
   - 1/4. रामश्री उम्र 45 साल — पुत्रीयान भरोसी
   - 1/5. अनीता उम्र 32 साल — पुत्रीयान भरोसी

   जातियान कुम्हार निवासीयान चटीकना करौली तह0 व जिला करौली

2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली
—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता दिलाये जाने बाबत

—::निर्णय::—

दिनांक:– 17/4/26

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 7874 रकवा 1 वीघा 15 किस्म बारानी–1 कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली में स्थित है उक्त आराजी प्रार्थी व प्रार्थी की मॉ चौथी बेवा नारायण के खातेदारी में दर्ज है चौथी का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थी मृतक चौथी का एकमात्र वारिस है और आराजी का तन्हा खातेदार काश्तकार है काबिज है उक्त आराजी में रवी व खरीफ दोनों फसल पैदा होती है। उक्त आराजी को प्रार्थी व प्रार्थी की मॉ चौथी ने 27.12.69 का खरीद कर दिनांक 31.12.69 को वयनामा अप्रार्थी नं0 1 की मॉ गुल्लो बेवा पन्ना व अप्रार्थी से 300/–रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और तभी से प्रार्थी उक्त आराजी में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 7875 रकवा 5 विस्वा, खसरा नंबर 7876 रकवा 6 विस्वा की मेड पर होकर आता जाता रहा है व हल ट्रेक्टर ट्रोली फसल के लिए खेती, आराजी पर काम निरन्तर सन् 1969 से लेता चला आ रहा है। प्रतिवादी नं0 1 की मां गुल्लो बेवा पन्ना फौत हो चुकी हैं। प्रतिवादी नं0 1 उसका वारिस है। प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नंबर 7874 मे आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 7875 व 7876 की मेड पर है जो अप्रार्थी नं0 1 के खातेदारी में कदीमी चला आ रहा है दिनांक 31.12.69 से पूर्व उक्त आराजी में अप्रार्थी नं0 1

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

इसी रास्ता से उक्त भूमि में आते जाते रहे है उक्त रास्ता को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में लाला रंग मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है जो करीब 20 फुट है जो कदीमी समय से बेरोक टोक नियमित रूप से चलता आ रहा है तथा इसी एक मात्र रास्ते के अलावा पार्टी के आने जाने का दूसरा कोई रास्ता या वैकल्पिक रास्ता नही है तथा आज दिन भी उक्त रास्ता मौजूद है। जो चालू है लेकिन उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से इस रास्ते पर कई बार वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है साथ ही कई बार समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। उक्त रास्ता अप्रार्थी नं0 1 के खातेदारी खसरा नं0 7875 व 7876 करवा करौली की मेड़ के सहारे निकलता है जो चौड़ाई में 20 फुट है तथा लंबाई मे भी काफी है जिसकी मौका रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता नही होने से कई बार प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 के बीच में विवाद हो जाता है तथा अप्रार्थी नं0 1 द्वारा रास्ता बंद करने की ऐलानियां धमकियां भी दी जाती है जिससे प्रार्थी को परेशानी होती है। एवं अनैतिक दवाब में भी रहता है हाल ही में प्रार्थी ने दिनांक 2.11.14 को अप्रार्थी नं0 1 से इस रास्ते नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र बरंग लाल मार्क ए.बी.सी.डी. को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने कह कहां तो अप्रार्थी नं0 1 ने इंकार कर दिया और ऐलानियां धमकी दी कि यदि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की तो यह रास्ता रातोरात बंद कर दिया जावेगा व आपके आने जाने में भारी रूकावट व बाधार उत्पन्न करूंगा अन्यथा अप्रार्थी के कहे अनुसार ही प्रार्थी को चलना होगा जबकि हमेशा हमेशा से नियमित एक मात्र यही रास्ता होने के कारण भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो नाही आवागमन में किसी प्रकार की बाधा हो इसलिए इस रास्ता को कदीमी रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी दर्ज कराने का अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में रास्ता दर्ज भूमि जितना रकवा अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी भूमि जमीन में से कम होगा उसकी राशि का नियमानुसार भुगतान प्रार्थी करने को तैयार है साथ ही पटवारी से क्षेत्रफल बाबत् मौके की मोखिक एवं वास्तविक रूप से रिपोर्ट पटवारी से क्षेत्रफल बाबत् मौके की भौतिक एवं वास्तविक रूप से रिपोर्ट मंगवाई जाना उचित होने से रिपोर्ट मंगवाता भी न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को बार–बार निवेदन करने के बावजूद भी अप्रार्थी नं0 1 ने रास्ता नही करवाया तथा प्रार्थी की आराजी तक आने जाने में ट्रेक्टर ट्रोली वगैरह आने जाने में परेशानी होती है दिनांक 2.11.14 को अप्रार्थी नं0 1 ने प्रार्थी को ट्रेक्टर को आराजीयात को जुतबाने के लिए नही निकलने दिया जिससे प्रार्थी उक्त आराजी में फसल गेहूं काश्त नही कर सका जिससे प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है। बाद कारण दिनांक 2.11.14 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से मना करने पर मुकाम करौली में पैदा हुआ है तथा दिनांक 2.1.15 को दिन भी मना

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

करने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करवाना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खरीदना स्वीकार है परंतु प्रार्थी प्रार्थी दर0 गुजार का रास्ता कभी भी जवाबदार की आराजी में होकर नही रहा प्रार्थी दर0 गुजार का रास्ता उसकी खुद की अन्य आराजीयात में होकर का एवं हमेशा से रहा है। रास्ता कभी भी जवाबदार की आरजी में होकर नही रहा दर0 गुजार द्वारा जवाबदार को मात्र परेशान करने की गरज से गलत तौर पर दर0 पेश है जो खारिज होने योग्य है। रास्ता जवाबदार की आराजी में होकर नही रहा है। जहां तक मौका रिपोर्ट का प्रश्न है ''साक्ष्य वास्ते मौका रिपोर्ट एकत्रित नही की जा सकती में विधि का सुस्थापित सिद्वांत है'' दर0 खारिज होने योग्य हैं। आराजी में होकर रास्ता ही नही है तो धमकी देने का प्रश्न ही नही है। दर0 निराधार होने से खारिज होने योग्य है। दर0 गुजार का कभी कोई रास्ता जवाबदार की आराजी मे होकर नही रहा है तथा मौका रिपोर्ट भी कानूनन साक्ष्यं के लिये मंगवाना जाना विधि अनुसार गलत है एवं न्यायोचित नही है। दर0 गुजार को उसकी आराजी में आने जाने में उसकी स्वयं की आराजी में होकर रास्ता स्थित है परंतु जवाबदार की आराजी को खुर्द बुर्द करने की गरज से दर0 गुजार द्वारा यह दर0 पेश का है। जो हर हाल में खारिज होने योग्य है। अंत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्राथी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 7874 रकवा 1 वीघा 15 किस्म बारानी–1 कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली में स्थित है उक्त आराजी प्रार्थी व प्रार्थी की मॉ चौथी बेवा नारायण के खातेदारी में दर्ज है चौथी का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थी मृतक चौथी का एकमात्र वारिस है और आराजी का तन्हा खातेदार काश्तकार है काबिज है उक्त आराजी में रवी व खरीफ दोनों फसल पैदा होती है। उक्त आराजी को प्रार्थी व प्रार्थी की मॉ चौथी ने 27.12.69 का खरीद कर दिनांक 31.12.69 को वयनामा अप्रार्थी नं0 1 की मॉ गुल्लो बेवा पन्ना व अप्रार्थी से 300/–रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और तभी से प्रार्थी उक्त आराजी में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 7875 रकवा 5 विस्वा, खसरा नंबर 7876 रकवा 6 विस्वा की मेड पर होकर आता जाता रहा है व हल ट्रेक्टर ट्रोली फसल के लिए खेती, आराजी पर काम निरन्तर सन् 1969 से लेता चला आ रहा है। प्रतिवादी नं0 1 की मां गुल्लो बेवा पन्ना फौत हो चुकी हैं। प्रतिवादी नं0 1 उसका वारिस है। प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नंबर 7874 मे आने जाने का एकमात्र

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

रास्ता खसरा नंबर 7875 व 7876 की मेड पर है जो अप्रार्थी नं0 1 के खातेदारी में होकर कदीमी चला आ रहा है दिनांक 31.12.69 से पूर्व उक्त आराजी में अप्रार्थी नं0 1 इसी रास्ता से उक्त भूमि में आते जाते रहे है उक्त रास्ता को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस मे लाला रंग मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है जो करीब 20 फुट है जो कदीमी समय से बेरोक टोक नियमित रूप से चलता आ रहा है तथा इसी एक मात्र रास्ते के अलावा प्रार्थी के आने जाने का दूसरा कोई रास्ता या वैकल्पिक रास्ता नही है तथा आज दिन भी उक्त रास्ता मौजूद है। जो चालू है लेकिन उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से इस रास्ते पर कई बार वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है साथ ही कई बार समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। उक्त रास्ता अप्रार्थी नं0 1 के खातेदारी खसरा नं0 7875 व 7876 करवा करौली की मेड के सहारे निकलता है जो चोडाई में 20 फुट है तथा लंबाई मे भी काफी है जिसकी मौका रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता नही होने से कई बार प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 के बीच में विवाद हो जाता है तथा अप्रार्थी नं0 1 द्वारा रास्ता बंद करने की ऐलानियां धमकियां भी दी जाती है जिससे प्रार्थी को परेशानी होती है। एवं अनैतिक दवाब में भी रहता है हाल ही में प्रार्थी ने दिनांक 2.11.14 को अप्रार्थी नं0 1 से इस रास्ते नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र बरंग लाल मार्क ए.बी.सी.डी. को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने कह कहां तो अप्रार्थी नं0 1 ने इंकार कर दिया और ऐलानियां धमकी दी कि यदि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की तो यह रास्ता रातोरात बंद कर दिया जावेगा व आपके आने जाने में भारी रूकावट व बाधार उत्पन्न करूंगा अन्यथा अप्रार्थी के कहे अनुसार ही प्रार्थी को चलना होगा जबकि हमेशा हमेशा से नियमित एक मात्र यही रास्ता होने के कारण भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो नाही आवागमन में किसी प्रकार की बाधा हो इसलिए इस रास्ता को कदीमी रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी दर्ज कराने का अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में रास्ता दर्ज भूमि जितना रकवा अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी भूमि जमीन में से कम होगा उसकी राशि का नियमानुसार भुगतान प्रार्थी करने को तैयार है साथ ही पटवारी से क्षेत्रफल बाबत् मौके की मोखिक एवं वास्तविक रूप से रिपोर्ट पटवारी से क्षेत्रफल बाबत् मौके की भौतिक एवं वास्तविक रूप से रिपोर्ट मंगवाई जाना उचित होने से रिपोर्ट मंगवाता भी न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी अप्रार्थी नं0 1 ने रास्ता नही करवाया तथा प्रार्थी की आराजी तक आने जाने में ट्रेक्टर ट्रोली वगैरह आने जाने में परेशानी होती है दिनांक 2.11.14 को अप्रार्थी नं0 1 ने प्रार्थी को ट्रेक्टर को आराजीयात को जुतबाने के लिए नही निकलने दिया जिससे प्रार्थी उक्त आराजी में फसल गेहूं काश्त नही कर सका जिससे प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है। बाद कारण दिनांक 2.11.14 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से

उपखण्ड अधिकारी

मना करने पर मुकाम करौली में पैदा हुआ है तथा दिनांक 2.1.15 को दिन भी मना करने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करवाना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खरीदना स्वीकार है परंतु प्रार्थी प्रार्थी दर0 गुजार का रास्ता कभी भी जवाबदार की आराजी में होकर नही रहा प्रार्थी दर0 गुजार का रास्ता उसकी खुद की अन्य आराजीयात में होकर का एवं हमेशा से रहा है। रास्ता कभी भी जवाबदार की आरजी में होकर नही रहा दर0 गुजार द्वारा जवाबदार को मात्र परेशान करने की गरज से गलत तौर पर दर0 पेश है जो खारिज होने योग्य है। रास्ता जवाबदार की आराजी में होकर नही रहा है। जहां तक मौका रिपोर्ट का प्रश्न है "साक्ष्य वास्ते मौका रिपोर्ट एकत्रित नही की जा सकती में विधि का सुस्थापित सिद्वांत है" दर0 खारिज होने योग्य हैं। आराजी में होकर रास्ता ही नही है तो धमकी देने का प्रश्न ही नही है। दर0 निराधार होने से खारिज होने योग्य है। दर0 गुजार का कभी कोई रास्ता जवाबदार की आराजी मे होकर नही रहा है तथा मौका रिपोर्ट भी कानूनन साक्ष्य के लिये मंगवाना जाना विधि अनुसार गलत है एवं न्यायोचित नही है। दर0 गुजार को उसकी आराजी में आने जाने में उसकी स्वयं की आराजी में होकर रास्ता स्थित है परंतु जवाबदार की आराजी को खुर्द बुर्द करने की गरज से दर0 गुजार द्वारा यह दर0 पेश का है। जो हर हाल में खारिज होने योग्य है। अंत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी खसरा नंबर 7874 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली के आवागमन का रास्ता खसरा नंबर 7875 व 7876 कस्बा करौली की मेड पर होकर बताया गया है। जबकि प्रार्थी ने अपनी जिरह में मालियों के रास्ते से निकलना बताया है। प्रार्थी द्वारा उक्त मालियों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि में होकर कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के पास मौजूद होने से चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी धारा 251 ए आर टी एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17/4/16 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली